Witness No----02---for--**प्रतिवादी साक्षी क्र. 02**----Deposition taken the--**12/08/2026**--day of--**बुधवार** –witness's apparent age-- **45 वर्ष** States on affirmation---**शपथपूर्वक**---my name is–**इंद्रजीत साहू** --S/ of --- **श्री जवाहरलाल साहू** --occupation-- **कृषि** – address---**ग्राम दर्रा, चौकी बिरेझर, थाना कुरूद, जिला धमतरी छ.ग.**

टीपः– प्रतिवादी साक्षी क्र. 02 द्वारा दिनांक 17.03.2025 को आदेश 18 नियम 04 व्य.प्र.सं. के तहत शपथ पत्र कंडिका 01 से 02 में कथन पेश किया है।

साक्ष्य प्रारंभ करने का समयः– 01:20

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री गुणवंत सोलंके अधिवक्ता वास्ते वादी

03. मैंने उप पंजीयक कार्यालय कुरूद में गवाह बतौर प्र.डी.01 में अ से अ भाग पर तीन जगहों पर हस्ताक्षर किया था।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एल.पी.गोस्वामी अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादीगण

04. मैं एवन लाल को इस लिए जानता हूं कि मैं ग्राम दर्रा में रहता हूं तथा एवन लाल नयापारा में रहता है और मेरा नयापारा आना–जाना लगा रहता है, साथ ही छाटा रोड नयापारा में भी मेरा घर है एवं छाटा रोड में एवन लाल का खेत भी है, इस आधार पर मैं एवन लाल को जानता हूं।

05. मैं विगत 20 वर्षों से एवन लाल को जानता हूं। छाटा रोड वाला एवन का खेत उसके पूर्वजों के समय से है। मैंने प्र.डी.01 में दिनांक 01.08.2012 को अपना हस्ताक्षर किया था। प्र.डी.01 में कितने का स्टांप लगा था यह मैं नहीं जानता। स्टांप को मिलाप जो कि शशिकिरण का पति है ने खरीदा था।

06. वादभूमि का खसरा क्र. 867 है तथा रकबा 0.25 हे. है। वादभूमि ग्राम नवागांव(खिसोरा) में स्थित है। मैं नवागांव का पटवारी हल्का नम्बर नहीं जानता हूं।

दिनांक 01.08.2012 के दो दिन पूर्व वाद भूमि का सौदा हुआ, जिसमें कोई ब्याना नहीं दिया गया तथा सीधे विक्रय पत्र का पंजीयन करा लिया गया। मैं सौदा में भी उपस्थित था, जो ग्राम नवागांव में शशिकिरण मिलाप के घर में सौदा हुआ था। भूमि का सौदा 2,75,000/– रूपये में चुक्ता लेन–देन का हुआ था। सौदा के समय मैं, एवन, शशिकिरण एवं मिलाप मौजूद थे।

07. मैंने वादभूमि से संबंधित ऋणपुस्तिका को देखा था। वादभूमि शशिकिरण के नाम पर ऋणपुस्तिका में दर्ज था। मैंने विवादित खेत को भी मौके में जाकर देखा हूं। मुझे विवादित खेत को सौदा को दोन दिन पूर्व मिलाप ने दिखाया था, देखने के समय मैं, एवन एवं मिलाप उपस्थित थे। खेत को दिखाने के लिए शशिकिरण नहीं गयी थी, केवल मिलाप ही गया था।

08. विक्रय मूल्य को एवन ने ग्राम कुरूद के पंजीयन कार्यालय में शशिकिरण के हाथ में दिया था, उस समय मैं, एवन, शशिकिरण एवं मिलाप मौजूद थे। विक्रय मूल्य को रजिस्टार के सामने नहीं दिया था, बल्कि रजिस्ट्री कार्यालय के भवन में दिया था।

09. 2,75,000/– रूपये को एवन ने दिया था, जो सभी 500–500 रूपये के नोट थे। मैंने उक्त रकम को नहीं गिना था। मेरे सामने एवन ने गिनकर के मिलाप को दिया था, उसके बाद मिलाप ने भी उक्त रकम को गिना था।

10. 2,75,000/– रूपये में 500–500 रूपये का कितना नोट था यह मैं नहीं जानता। एवन ने पंजीयन दिनांक के पहले ही उक्त रकम को बैंक से निकाल कर अपने पास रखना मुझे बताया था, कौन से बैंक से रकम को निकाला था यह मैं नहीं जानता हूं।

11. मैं तथा एवन वेन गाडी में नयापारा से ग्राम नवागांव आये और वहां मिलाप एवं शशिकिरण को साथ लिये तथा वहां से कुरूद में विरेन्द्र साहू दस्तावेज लेखक के पास जो तहसील कार्यालय के पास मौजूद है, वहां जाकर स्टांप की टायपिंग आदि कराये, फिर वहां से पंजीयन कार्यालय आयें।

12. रजिस्ट्री दिन के 2 से 3 बजे के बीच संपन्न हुयी थी। मैंने केवल तीन जगह अपना हस्ताक्षर किया था। शशिकिरण विक्रय पत्र में कितने जगह हस्ताक्षर की है यह याद नहीं है। परन्तु अंदर जाकर अंगूठा निशान लगायी थी। मैंने भी अपना अंगूठा निशान लगाया था।

13. प्र.डी.01 में मैं तथा मिलाप दोनो गवाह थे। मिलाप के 2 लड़के भी हैं। परन्तु यह सही है कि रजिस्ट्री के समय दोनो लड़के साथ में नहीं आये थे। यह भी सही है कि रजिस्ट्री के समय ग्राम नवागांव से भी किसी अन्य व्यक्ति को साथ नहीं लाये थे।

14. प्र.डी.01 में पहले शशिकिरण ने हस्ताक्षर की फिर एवन ने हस्ताक्षर किया उसके बाद हमलोगों ने अपना हस्ताक्षर किया था। मिलाप ने पहले हस्ताक्षर किया था, उसके पश्चात मैंने हस्ताक्षर किया था।

15. तहसील कार्यालय मगरलोड में मेरा कोई बयान नहीं हुआ था। एवन का बयान हुआ है अथवा नहीं यह मैं नहीं जानता। यह कहना गलत है कि तहसील कार्यालय मगरलोड में मेरा बयान हुआ था।

16. प्र.डी.01 के आधार पर एवन का नाम राजस्व अभिलेख में कब नामांतरित हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैंने वादभूमि को मौके पर जाकर देखा हू, जो ग्राम नवागांव में तालाब के नीचे 2–3 खेत बाद स्थित है, परन्तु वाद भूमि की चतुर सीमा मैं नहीं जानता हूं।

17. मैं राजू बोथरा, हेमंत ज्वेलर्स नयापारा को नहीं जानता हूं। मैं नयापारा में हेमंत ज्वेलर्स को जानता हूं। यह कहना गलत है कि मैं एवं एवन हेमंत ज्वेलर्स के यहां नौकरी करते थे। यह कहना गलत है कि मैं एवं एवन हेमंत ज्वेलर्स के यहां मासिक वेतन पर नौकरी करते थे।

18. मैं यह नहीं जानता कि प्र.डी.01 को हेमंत ज्वेलर्स वालो ने विक्रेता से कर्ज के पेटे गिरवी रखने के नाम पर लिखा–पढी करवाया था। यह कहना गलत है कि हेमंत ज्वेलर्स वालो ने प्र.डी. ० 01 को गिरवी रखना कहकर एवन के नाम पर रजिस्ट्री

करवाया है तथा यह भी गलत है कि हेमंत ज्वेलर्स ने अपना कर्मचारी मानते हुए मुझे प्र.डी.01 में गवाही के बतौर हस्ताक्षर करवाया है।

19. यह कहना गलत है कि शशिकिरण की संतुष्टी के लिए एवन ने प्र.पी.05 का नोटराईज शपथपत्र लिखवाकर शशिकिरण को प्रदान किया था तथा यह भी गलत है कि प्र.पी.05 के निष्पादन के समय मैं मौजूद था।

टीपः– चायकाल का समय होने से प्रतिपरीक्षण चायकाल तक स्थगित किया गया।

(निलेश कुमार बघेल)
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी
कुरूद, जिला धमतरी छ०ग०

(निलेश कुमार बघेल)
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी
कुरूद, जिला धमतरी छ०ग०

टीपः– चायकाल पश्चात साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर शेष प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया।

20. वाद भूमि सिंचित भूमि है। वाद भूमि का विक्रय मूल्य 2,75,000/–रूपये था परन्तु वाद भूमि का बाजार मूल्य मुझे नहीं मालूम। वाद भूमि पर विक्रय के समय तीन पेड कौहा (अर्जुन) का पेड था, इसके अलावा और कोई भी पेड नहीं था।

21. विक्रय का स्टांप मिलाप ने लिया था, परन्तु स्टांप का पैसा एवन ने दिया था, कितना राशि दिया था मुझे जानकारी नहीं है। विक्रय पत्र में मेरी फोटो नहीं लगायी गयी थी।

22. यदि प्र.डी.02 में पृष्ठ दो की आखिरी कंडिका में राजस्व प्रकरण क्र. 26 अ/06 वर्ष 2012–13 आदेश दिनांक 20.02.2015 में तहसीलदार मगरलोड ने मेरा परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराया जाना लेख किया है, तो वह आदेश गलत है, क्योंकि मैंने तहसीलदार मगरलोड को कोई बयान नहीं दिया था।

23. मैं शशिकिरण मिलाप के घर में प्र.डी.01 के विक्रय पंजीयन कराने को लेकर एवन के साथ गया था, उसके अलावा उसके पूर्व मैं शशिकिरण मिलाप के घर और कभी भी नहीं गया हूं।

24. यह कहना गलत है कि मैं प्र.डी.01 के विक्रय पंजीयन कराने के पूर्व शशिकिरण मिलाप के घर कई बार हेमंत ज्वेलर्स के तरफ बकाया राशि को पटाने का तगादा करने हेतु गया हूं तथा यह भी गलत है कि मैं शशिकिरण एवं मिलाप को बोला हू कि कर्जा का ब्याज बड़ते जा रहा है या तो पैसा ब्याज सहित अदा कर दो अन्यथा जमीन की रजिस्ट्री करा दो।

25. यह कहना गलत है कि तब मिलाप ने कहा कि मेरी पत्नी शशिकिरण के नाम पर जो भूमि है उसे हेमंत ज्वेलर्स के नाम पर बिक्री नहीं करूंगा परन्तु गिरवीनामा लिखवा दूंगा तथा यह भी गलत है कि तब मैंने कहा कि ठीक है गिरवीनामा ही लिखवा दी जायेगी।

26. यह कहना गलत है कि मैं और एवन दोनो मिलकर शशिकिरण की जमीन को यह कहकर दस्तावेज निष्पादन करायें कि बिक्रीनामा नहीं है रहेननामा लिखा जा रहा है, जिसके एवज में एवन के तरफ से दस्तावेज लिखकर शशिकिरण को दे दिया जावेगा।

27. यह कहना गलत है कि तब मैं और एवन दोनो मिलकर प्र.पी 05 का शपथपत्र नोटराईज एवन द्वारा शशिकिरण के पक्ष में प्रदान किये थे। यह कहना गलत है कि मैं और एवन दोनो ने शशिकिरण को यह भरोसा दिलाया कि वादभूमि पर एवन कभी भी कब्जा नहीं करेगा, कब्जा केवल शशिकिरण का रहेगा।

28. मैं यह नहीं जानता कि वादभूमि पर आज भी कब्जा शशिकिरण का ही है। यह कहना सही है कि प्र.डी01 में वाद भूमि का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार भाव 1,80,000/– रूपये लेख है तथा यह भी सही है कि विक्रय पत्र 2,75,000/– रूपये का दर्शाकर प्र.डी01 की रजिस्ट्री करायी गयी है। यह पूछे जाने पर कि बाजार

भाव से अधिक मूल्य दिखाकर रजिस्ट्री क्यों करयी गयी है। साक्षी का कहना है कि इस संदर्भ में लेने वाला और देने वाला दोनो जानेंगे।

29. मैंने स्वयं होकर एवन को यह नहीं पूछा था कि जब वादभूमि का बाजार मूल्य 1,80,000/–रूपये है तो 2,75,000/– रूपये दर्शाकर क्यों पंजीयन करा रहे हो।

30. वादभूमि ग्राम नवागांव की बस्ती से लगभग आधा किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। यह कहना सही है कि ग्राम नवागांव में वादभूमि के अलावा एवन की और कोई भी भूमि अथवा मकान भी मौजूद नहीं है।

31. एवन नयापारा में निवास करता है तथा ग्राम नवागांव की दूरी नयापारा से लगभग 25 किलोमीटर के आस–पास है। मैंने एवन को यह नहीं पूछा कि नयापारा जहां तुम्हारा निवास स्थान है,उससे 25 किलामीटर की दूरी परमात्र 0.25 हे. की भूमि क्यों खरीद रहे हो।

32. वाद भूमि पर धान के अलावा और कोई भी उपज पैदा नहीं होती है। वादभूमि एकड में लगभग साढे बैंसट डिसमिल है। वाद भूमि पर दूसरी फसल भी लेते हैं, लेकिन पानी कहां से मिलता है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

33. यह कहना गलत है कि मैं एवं एवन दोनो हेमंत ज्वेलर्स के कर्मचारी है, इसलिए हेमंत ज्वेलर्स के पक्ष में प्र.डी01 को सही बताने के लिए बयान दे रहे हैं।

प्रतिपरीक्षण समाप्त करने का समय – 04:26

गवाह को पढ़कर सुनाया सही होना स्वीकार किया गया

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया

सही/–
(निलेश कुमार बघेल)
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी
कुरूद, जिला धमतरी छ०ग०

सही/–
(निलेश कुमार बघेल)
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी
कुरूद, जिला धमतरी छ०ग०

साक्षी का हस्ताक्षर